

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(10) छात्र पो / सान्यअदि / 2019-20 /

50739

दिनांक : 16/10/2020

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/  
शासन सचिव, सामा. न्याय एवं अधि.विभाग,  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, संस्कृत  
शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, गृह विभाग,  
युवा एवं खेल विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं  
संचार विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग,  
श्रम एवं नियोजन विभाग राजस्थान, जयपुर।

विषय : विभाग द्वारा विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (SC/ST/OBC/SBC  
/EBC/CM/DTNT) के लिए संचालित ऑनलाईन पेपरलैस पोर्टल  
(sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकृत होने वाले विश्वविद्यालय/ बोर्ड/  
काउन्सिल एवं उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के सत्यापन के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय आदेश क्रमांक 69197 दिनांक 07.09.2018  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं  
(SC/ST/OBC/SBC/EBC/CM/DTNT) के लिए संचालित ऑनलाईन पेपरलैस पोर्टल  
(sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकृत होने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल एवं उनके द्वारा  
संचालित पाठ्यक्रमों के सत्यापन संबंधित कार्य प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जाता है। जिसके  
लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर आपके विभाग से संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल को सत्यापित  
करने हेतु नोडल अधिकारी का मनोनयन आप द्वारा किया हुआ है।

छात्रवृत्ति पोर्टल पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनके अधीन संचालित  
विश्वविद्यालयों/बोर्ड/काउन्सिल का सत्यापन किये जाने पर ही इन विश्वविद्यालयों/बोर्ड/काउन्सिल के  
अधीन संचालित महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन करने के पात्र हो सकेंगे।

विभागीय आदेश क्रमांक 48300 दिनांक 30.09.2020 द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल  
शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए दिनांक 01.10.2020 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन संचालित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल को उनके  
द्वारा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सत्यापित करने हेतु  
संबंधित नोडल अधिकारी को निर्देशित कराने का श्रम करावें ताकि पंजीकृत महाविद्यालयों में  
अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकें।

भवदीय,



(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं

संयुक्त शासन सचिव

दिनांक : 16/10/2020

क्रमांक : एफ 9(4)(10) छात्र पो / सान्यअदि / 2019-20 /

50740-41

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
2. प्राचार्य, राजकीय/निजी महाविद्यालय.....।

अतिरिक्त निदेशक  
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)